

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-23/2017.....४५/जे०, पटना, दिनांक ..16/03/18

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

किशनगंज ।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा आतिथ्य व्यय विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु निम्न प्रकार कुल-1,65,000/- (एक लाख पैंसठ हजार) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

॥ आवंटित राशि का ब्यौरा ॥

क्र०सं०	विषयशीर्ष	आवंटन की राशि (रुपये में)
1.	13.02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	1,50,000/- (एक लाख पचास हजार)
2.	20.01-आतिथ्य व्यय	15,000/- (पन्द्रह हजार)
		कुल:-1,65,000/- (एक लाख पैंसठ हजार) रुपये

प्रसंग:- आपका पत्रांक-482, दिनांक-28.02.2018

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उप शीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा आतिथ्य व्यय विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि०(2), दिनांक-17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि०, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001050001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-23/2017.....४५/जे०, पटना, दिनांक ...16/03/18

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-23/2017.....४५/जे०, पटना, दिनांक ..16/03/18

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-23/2017.....४५/जे०, पटना, दिनांक ..16/03/18

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

14-3-18